**समाचार-प्रकाषनार्थ:-**

**महावीर किराना से अमानक स्तर की 28 किलो पॉलीथीन जब्त**
**3000 का किया जुर्माना**
**75 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित**

**रतलाम 17 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 75 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।**
**अभियान के तहत महावीर किराना त्रिपोलिया गेट से तय मानक के विपरित 28 किलो पॉलीथीन को जब्त कर संबंधित पर 3000 की राषि का जुर्माना स्पॉट फाईन दल द्वारा किया गया।**
**रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।**
**नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।**

**ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें**
**रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही**

रतलाम 17 जनवरी । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेªषन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टेªषन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000/- एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500/- प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेेतु प्रतिवर्श 100/- रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

खुले में गंदगी करने पर 9 व्यक्तियों पर जुर्माना
3,200/- की राषि वसूली

रतलाम 17 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 17 फरवरी को नाहरपुरा क्षेत्र में 9 व्यक्तियों पर जुर्माना कर 3,200/- की राषि वसूली।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गंदगी करने पर रतलाम किराना, श्रीजी डिस्पोजल, माहेष्वरी डिस्पोजल, अफजल पर 500-500, एटलस इलेक्ट्रॉनिक, दूरदर्षन इलेक्ट्रॉनिक, लूनिया स्पोर्टस्, ब्रजेष व निखिल 250-250 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।

7 सफाई मित्रों का 1 दिवस व 17 का आधे दिवस का वेतन काटा
बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त
रतलाम 17 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 7 व दोपहर में 17 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
17 फरवरी गुरूवार को वार्डो मंे सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 2 में जितेन्द्र-छोटेलाल, सुनील-मुन्नालाल, अर्जुन-दीपक, झोन क्रमांक 2 में सुनील-ष्यामलाल, झोन क्रमंाक 3 में कान्हा-आनन्द, झोन क्रमांक 4 में उशाबाई पति दिनेष, वर्शाबाई पति पर्वत इस तरह 7 कर्मचारी बिना सूचना

के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इसके अलावा दोपहर की उपस्थिति के दौरान झोन क्रमांक 1 में राधाबाई पति हिम्मत, झोन क्रमांक 2 में हेमलता पति विनोद, प्रषांत-ओसान, राजेष-कांतीलाल, सरस्वती पति धनराज, बंटी-जगदीष, मंजूबाई पति राधाकिषन, महेष-देवकरण, सरवन-प्रकाष, दुर्गाबाई पति संजय, रेखाबाई पति जगदीष, झोन क्रमांक 4 में राधाबाई पति मनोहर, सोनूबाई पति आनन्द, कांतीलाल-छोटू, मायाबाई पति राजेष, भैय्यन-कालू, राहूल-राजेन्द्र इस तरह 17 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

**नगर निगम के विभिन्न करों से 24.74 लाख हुआ राजस्व प्राप्त**

रतलाम 17 फरवरी । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास षाखा, बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 17 फरवरी गुरूवार को कुल राषि रूपये 24,74,649/- का राजस्व प्राप्त हुआ।
नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 17 फरवरी गुरूवार को संपत्तिकर षिविर से 116334, कार्यालय 342688, वसूली दल 449016 कुल 908038, जलकर षिविर 43990, कार्यालय 10430, वसूली दल 69050 कुल 123470, दुकान गुमटी किराया कार्यालय 3025 व वसूली दल 36253 कुल 65996, लीजरेंट 50545, कम्पाउडिंग 1327818, स्पॉट फाईन 25500 इस तरह कुल राषि रूपये 24,74,649/- का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेषियो को पकड़ने का अभियान निरंतर जारी
1380 मवेषियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौषालाओं में भेजा

रतलाम 17 फरवरी । नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेषियों को पकड़कर गौषालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 1380 मवेषियों को पकड़कर जिले की गौषालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 17 फरवरी तक 1380 मवेषियों को पकड़ा जाकर गौषालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 17 फरवरी को चांदनी चौक व लोकेन्द्र भवन रोड से 2 मवेषी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राषि रूपये 500/- वसूल करेगा

स्वच्छता में बेहतर कार्य करने हेतु नागरिकों से मांगे सुझाव
रतलाम 17 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत रतलाम नगर पालिक निगम में शहरवासियों व गैर सरकारी संगठनों से एवं अन्य सभी लोगों से स्वच्छ भारत मिशन  के कार्य को किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है ,इसके लिए टेक्निकल सुझाव मांगे गए थे।ईद चैलेंज का सोशल मीडिया के

द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया गया ,साथ ही शहर के कॉलेजों में भी जाकर विद्यार्थियों को इसमे भाग लेने के लिये प्रेरित किया गया, जिसमे कुल 10 प्रतिभागियों अपनी रुचि दिखाते हुए अपने सुझाव भेजे । जिनमे से 2 सुझावों को क्रमशः 1.द ग्रोइंग इंडिया फाउंडेशन एवं दूसरा सुझाव दीपिका पटेल जी द्वारा दिया गया था , इन्हें निगम द्वारा गठित कमिटी ने चुना। इन दोनों प्रतिभागियों ने निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपने सुझावों को किस तरह ज़मीनी स्तर तक पहुंचाया जा सकता है ,इसके बारे में शहरवासियों को समझाया एवं साथ ही निगम ने इन सुझावों को आगे बढ़ाने के लिए इन प्रतिभागियों की तमाम निवेशकों के साथ बैठक आयोजित की एवं इन्हें और ज़्यादा कुशल एवं प्रभावी बनाने के लिये पूरा समर्थन दिया।

स्वच्छता के बाद हुए बदलाव को नागरिकांे ने बताया

रतलाम 17 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत , स्वच्छ भारत मिशन से शहरवासियों के जीवन पर पड़े प्रभाव के बारे में उनसे जानकारी मांगी गई एवं उनसे जानना चाहा कि किस तरह स्वच्छ भारत मिशन के आने के बाद से उनके जीवन मे बदलाव आए हैं। जिसमें करीब 20 लोगों ने अपने जीवन पर पड़े प्रभावों के बारे में नगर पालिक निगम को बताया जिनमें से मुख्यतः अड़ोस पड़ोस की साफ सफाई, महिलाओं के लिये शौचालय की सुगमता, स्वास्थ पर पड़ने वाले प्रभाव, आजीविका मिलना एवं वायु प्रदूषण में आई कमी के बारे में शहरवासियों में बताया।

स्वच्छता चैम्पियनों का हुआ सम्मान

रतलाम 17 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत शहर के करीब 10 स्वच्छता चैंपियंस को सम्मानित किया गया । इनमे रेखाबाई ओमप्रकाश, रामकन्या बाई , अनिताबाई कैलाश, शांतिबाई चौहान, ममता तंवर, नयन शिंदे, संदीप चौहान, कमल कुमार पेंटर, मंथन मुस्ले , सचिन चोपड़ा को स्वच्छता के

कार्य मे उत्तम प्रदर्शन करने एवं एवं अपने कार्यों के द्वारा पूरे शहर को जागरूक करने हेतु सम्मानित किया गया एवं इन्हें स्वच्छ चेंपियन कहा गया।

**चौमुखी पुल पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर**
**नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन**
**नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 77.39 लाख व जलकर 19.04 लाख की बकाया राषि जमा कराई**

रतलाम 17 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू-भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3,28,822/- व जलकर 54,850/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1,62,575/- व जलकर 34,520/-, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3,02,013/- व जलकर 63,450/-, विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1,85,292/- व जलकर 1,19,720/-, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 3,20,857/- व जलकर 62,950/-, तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर 1,28,977/- व जलकर 28,870/-, कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 2,16,000/- व जलकर 14,000/-, इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर 2,51,600/- व जलकर 1,04,640/-, कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 8,61,206/- व जलकर 1,21,090/-, प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर 2,14,000/- व जलकर 47,000/-, डोंगरे

नगर षिविर में संपत्तिकर 2,54,422/- व जलकर 83,700/-, हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 1,71,500/- व जलकर 27,540/-, कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1,96,281/- व जलकर 40,240/-, राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1,45,000/- व जलकर 31,760/-, काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 3,36,077/- व जलकर 72,440/-, वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 98,534/- व जलकर 37,465/-, कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 87,732/- व जलकर 36,660/-, दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 2,91,455/- व जलकर 92,125/-, बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 4,97,298/- व जलकर 64,770/-, रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर 1,59,241/- व जलकर 28,140/-, लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 6,11,920/- व जलकर 1,56,600/-, धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 3,60,338/- व जलकर 1,67,280/-, किरण टॉकिज षिविर में संपत्तिकर 3,89,541/- व जलकर 76,625/-, आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1,20,807/- व जलकर 37,520/-, प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 1,91,836/- व जलकर 72,860/-, महावीर नगर षिविर में संपत्तिकर 87,741/- व जलकर 37,140/- पैलेस रोड षिविर में संपत्तिकर 2,81,036/- व जलकर 89,570/-, चौगानिया भैरू मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 91,157/- व जलकर 46,510/-, सायर चबुतरा षिविर में संपत्तिकर 1,62,036/- व जलकर 1,05,060/-, चौमुखी पुल षिविर में संपत्तिकर 1,16,334/- व जलकर 43,990/- की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेष देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25, 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व

34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।
निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि  निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

**17 फरवरी को 86 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा**

रतलाम 17 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 17 फरवरी गुरूवार को 86 टन कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।
17 फरवरी गुरूवार को डम्पर से 37945, टेªक्टर से 13340, काम्पेक्टर सूखा कचरा 16940, काम्पेक्टर गीला कचरा 15535, मैजिक सूखा 1535 व मैजिक गीला 1610 किलो इस तरह कुल 86905 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

**बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन (कम्पाउडिंग)**

**28 फरवरी तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट**

रतलाम 17 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा।

इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन (कम्पाउडिंग) 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

**3094 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए**

**स्वरोजगार ऋण से 109 हितग्राही हुए लाभान्वित**

**पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें**

रतलाम 17 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी

विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2898 हितग्राहियों को राषि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 196़ हितग्राहियों को राषि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 105 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 4 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

**अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही**

**15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल**

रतलाम 17 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण

प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 17 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 17 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

## वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 17 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी

**करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।**

**समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/17.02.2022/न.पा.निगम, रतलाम.**